(ii) the altering, repairing, ornamenting or finishing of any article; or

(iii) the adapting for sale of any article.

(ii) किसी भी वस्तु का रूपान्तर, सुधार, सजावट या उसको अंतिम रूप देना; या

(iii) किसी वस्तु को विक्रय हेतु अनुकूल बनाना ।

PART II
CONSTITUTION AND GOVERNMENT

दूसरा भाग
रचना तथा शासन

CHAPTER II
THE MUNICIPAL AUTHORITIES

दूसरा अध्याय
नगरपालिक प्राधिकारी

6. **Municipal authorities charged with the execution of this Act** – The Municipal authorities charged with carrying out the provisions of this Act shall be --

(a) The Corporation

(b) [1][The Mayor-in-Council]

[2][(c) The Mayor

(d) The Commissioner].

6. **नगरपालिक प्राधिकारी जिन पर इस अधिनियम को कार्यान्वित करने का भार है --** नगरपालिक प्राधिकारी, जिन पर इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने का भार आरोपित किया गया है, निम्नलिखित होंगे :-

(क) निगम

(ख) [1][मेयर-इन-कौंसिल]

[2][(ग) महापौर

(घ) आयुक्त] ।

[3][7. **Constitution of Municipal Corporation** -- (1) There shall be constituted a Municipal Corporation for a larger urban area in accordance with the provisions of this Act :

Provided that a Corporation under this section may not be constituted in such urban area or part thereof as the Governor may, having regard to the size of the area and the municipal services being provided or proposed to be provided by an industrial establishment or a group of such establishments in that area and such other factors as he may deem fit, by public notification, specify to be an industrial township.

[3][7. **नगरपालिक निगम का गठन --** (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगरपालिक निगम का गठन किया जाएगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई निगम, ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में गठित नहीं किया जा सकेगा जिसे राज्यपाल, क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक स्थापन या ऐसे स्थापनों के किसी समूह द्वारा दी जा रही या दिए जाने के लिए प्रस्तावित नगरपालिक सेवाओं और ऐसी अन्य बातों को, जिन्हें वह ठीक समझे, ध्यान में रखते हुए, लोक अधिसूचना द्वारा, औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट करे ।

1. Subs. by Act No. 20 of 1998, published in M.P. Rajpatra (Asadharan) dated 29-8-1998.
2. Subs. by Act No. 11 of 1999, published in M.P. Rajpatra (Asadharan) dated 23-4-1999.
3. Subs. by M.P. Act No. 16 of 1994, published in M.P. Gazette (Extraordinary) dated 30-05-1994.

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
सहायक/संचालक
प्रशासन एवं विकास

(2) In this section "a larger urban area" means such area as the Governor may having regard to the population of the area, the density of the population therein, the revenue generated for local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities, the economic importance or such other factors as he may deem fit, specify by public notification for the purposes of this Act.

(3) The Corporation shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal and shall by the said name sue and be sued.]

(2) इस धारा में "वृहत्तर नगरीय क्षेत्र" से अभिप्रेत है, ऐसा क्षेत्र जिसे राज्यपाल उस क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व, कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन की प्रतिशतता, आर्थिक महत्व या ऐसी अन्य बातों को, जिन्हें वह ठीक समझे, ध्यान में रखते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(3) नियम एक निगमित निकाय होगा, उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद चलाएगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जाएगा ।]

टिप्पणी

ग्राम पंचायतों को नगरपालिक निगम की परिसीमाओं के भीतर सम्मिलित करने के लिए आमंत्रित आपत्तियाँ -- राज्यपाल द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित । **अनिल त्रिवेदी बनाम म.प्र. राज्य और अन्य,** 2015 (2) MPLJ 154 = 2015 (1) JLJ 16.

नगरपालिक निगम या नगरपालिका का गठन संविधान का आदेश (mandate) है -- निगम का कार्य स्थानीय स्वशासन तथा अन्य लोक प्रयोजन चलाना है -- निगम सरकार का अभिकरण है -- धारा 7, 9, 10, 80(5), 405, 417, 421, 422, 425, 425-क, 426, 426-क, 427 तथा 430 के अंतर्गत उपबंध उपदर्शित करते हैं कि राज्य सरकार नगरपालिक निगम पर प्रभावी नियंत्रण रखता है । **गुलाब बाई (श्रीमती) और अन्य बनाम सुभाष चन्द्र,** 2014 (II) MANISA 57 (MP) = 2013 (II) MPACJ 201 = 2013 (3) JLJ 127 = 2013 (3) MPLJ 434 = 2013 (4) MPHT 276 (FB).

राज्य को नगरपालिक निगम से संबंधित विधि अधिनियमित करने की शक्ति है -- उसको उनके ऊपर कार्यपालक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं -- 1956 का अधिनियम राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया है । **पूरन सिंह पलैया बनाम लोकायुक्त, मध्यप्रदेश,** 2007 (3) जे.एल.जे. 201 ।

8. Power of Corporation to acquire and hold movable and immovable property -- The Corporation shall have power to acquire and hold property, both movable and immovable, within or without the limits of the city and, subject to the provisions of this Act and the rules [1][and byelaws]

8. **चल तथा अचल संपत्ति प्राप्त तथा धारण करने की निगम की शक्ति** -- निगम को नगर की सीमाओं के भीतर और बाहर चल तथा अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति प्राप्त एवं धारण करने और इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों [1][और उपविधियों] के उपबंधों के पालन के अधीन स्वयं अपने द्वारा धारित किसी सम्पत्ति को अन्तरित करने और अनुबन्ध करने

1. Subs. by M.P. Act No. 13 of 1961.

पा० 4215

(6)

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 584] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2011—पौष 6, शक 1933

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2011

अधिसूचना क्र. 64-एफ-1-19-2009-अट्ठाह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 में नगर परिषद् के लिए संक्रमणशील क्षेत्र तथा नगरपालिका के लिये लघुत्तर नगरीय क्षेत्र एवं मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 7 में नगर निगमों के लिए वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के गठन का प्रावधान है.

2. राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार नगर परिषद्/नगरपालिका/नगर निगम के गठन का मापदण्ड जनसंख्या के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:—

नगर परिषद्	—	20,000 से अधिक 50,000 से कम जनसंख्या
नगरपालिका	—	50,000 से अधिक 3,00,000 से कम जनसंख्या
नगर पालिक निगम	—	3,00,000 से अधिक जनसंख्या

इसके अतिरिक्त संक्रमणशील क्षेत्र के गठन हेतु निम्न मापदण्डों की पूर्ति भी आवश्यक है:—

1. जनसंख्या 20 हजार से कम न हो. इसमें से जनसंख्या का 60 प्रतिशत सघन जनसंख्या हो.
2. प्रकरणाधीन निकाय में कृषि इतर गतिविधियां संचालित हो तथा इन गतिविधियों में 50 प्रतिशत जनसंख्या कार्यरत हो.
3. परिवर्तित होने वाली निकाय का स्वयं का राजस्व कम से कम रुपये 10 लाख प्रतिवर्ष हो.
4. प्रकरणाधीन निकाय में स्थित कुल भवनों में से 30 प्रतिशत भवन संपत्तिकर की परिधि में आते हों अर्थात् इनका वार्षिक भाड़ा मूल्य 4800.00 रुपये से कम न हो.
5. प्रकरणाधीन निकाय के पूरे क्षेत्र में जल प्रदाय किया जा रहा हो.
6. प्रकरणाधीन निकाय में लगने वाले बाजार, पशु बाजार, आस-पास की अन्य ग्राम पंचायतों की तुलना में अधिक राजस्व देने वाले हों.
7. ग्राम पंचायत का स्वयं का भवन होना चाहिए जिसमें कम से कम 10 कर्मचारी बैठ सकें और 15 पार्षद बैठक कर सकें.
8. प्रकरणाधीन निकाय में कुल सड़कों की लम्बाई की 30 प्रतिशत सड़कें/नालियां पक्की होना चाहिये.
9. विद्युत व्यवस्था के अंतर्गत निकाय के अधिकतर क्षेत्र में विद्युत खम्भे स्थापित हों.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी.एस. परिहार, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

सहायक संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल (म.प्र.)
अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग